फॉर्म सं. यूआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

एतद्वारा सूचना दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, आज से पंद्रह दिनों के बाद लेकिन तीस दिनों की समाप्ति से पहले आरओसी-दिल्ली-I के समक्ष एक आवेदन किए जाने का प्रस्ताव है कि सिया कॉस्मेटिक्स एलएलपी (ABC-5093) को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग क के तहत, 'सिया कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड' नाम से शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

1. कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रसाधन सामग्री, इत्र और कॉस्मेटिक उत्पादों के थोक और खुदरा व्यापार का व्यवसाय करना, और ऐसे उत्पादों के अधिग्रहण, विकास, वितरण, विपणन और बिक्री से संबंधित गतिविधियों को संचालित करना, साथ ही अपने संचालन को आगे बढ़ाने के लिए चल और अचल संपत्तियों और अन्य वैध व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवहार करना।

2. प्रस्तावित कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मसौदे की एक प्रति का निरीक्षण कार्यालय: बी-1/ई-9, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, बदरपुर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110044 पर किया जा सकता है।

3. एतद्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईएसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी देनी होगी।

	हस्ता./-	हस्ता./-
दिनांक: 02 मई 2026	नित्या सक्सेना	संजय सीतल संगतानी
स्थान: नई दिल्ली	(साझेदार)	(साझेदार)

IDBI BANK — क्षेत्रीय कार्यालय- दिल्ली रोड, मझोला चौक, धर्मकाटे के सामने, मुरादाबाद- 244001। उत्तर प्रदेश — **बिक्री सूचना**

अचल सम्पत्तियों के लिए बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना/बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका **सांकेतिक कब्जा** बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। आईडीबीआई बैंक को **19.05.2026** को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आईडीबीआई बैंक के कारण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ब्याज और व्यय के साथ **रू0 50,70,844.22/- + लागू ब्याज एवं शुल्क** की वसूली के लिए बेचा जाएगा। **1. श्री राज कुमार पुत्र राम बाबू (ऋणी एवं बंधककर्ता) एवं , 2. श्रीमती संगीता देवी पत्नी राज कुमार (ऋणी)।** आरक्षित मूल्य **रु. 80,00,520/-** होगा और बयाना राशि **रु. 8,00,052/-**होगा। उधारकर्ता, गिरवीकर्ता और गारंटर की देय राशि, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि का विवरण और ज्ञात बाधाओं के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है: -

क्र0 सं0	ऋणी/सह-ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	(ए) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमडी	प्राधिकृत अधिकारी/ मोडल अधिकारीयों का नाम एवं नम्बर	सुरक्षित ऋणदाता के ज्ञात भार
1.	श्री राज कुमार पुत्र श्री राम बाबू **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता),** पता: 56-थी, विष्णु कॉलोनी, शाहगंज, आगरा (उ.प्र.)- 282010, मोबाइल: 9837509349, श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री राज कुमार **(उधारकर्ता),** पता: 56-थी, विष्णु कॉलोनी, शाहगंज, आगरा (उ.प्र.)- 282010 मोबाइल: 9634803821	बंधक भूमि के सभी भाग व भूखंड, जो मकान संख्या 56 में सम्मिलित है, स्थित विष्णु कॉलोनी, मौजा भोगीपुरा, तहसील एवं जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश में, जिसका क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर या 155.55 वर्ग गज है, और जिस पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: प्लॉट संख्या 57, पूर्व: 30 फीट चौड़ी सड़क एवं निकास, पश्चिम: प्लॉट संख्या 58, बंधककर्ता का नाम: श्री राज कुमार, पुत्र श्री राम बाबू। साथ ही उक्त भूमि पर स्थित सभी भवन, निर्माण, संरचनाएं तथा भूमि से जुड़ी या भूमि में स्थायी रूप से लगी हुई सभी मशीनरी और संयंत्र, वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले निर्माण सम्मिलित हैं।	रु. 50,70,844.22 (रुपये पचास लाख सत्तर हजार आठ सौ चौवालीस और बाईस पैसे मात्र), लोन के संबंध में दिनांक 10.04.2024 तक बकाया देय राशि के रूप में जिस पर दिनांक 10.04.2024 से आगे लागू ब्याज तथा लागू खर्चे (यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर) अतिरिक्त रूप से देय होंगे।	19.05.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक	रू0 80,00,520/- रू0 8,00,052/- बोली वृद्धि राशि रू0 50,000/-	श्री दीपक मंगल 9760367567 श्री विवेक कुमार राय- 7030670099 श्री मनोष कुमार- 8090098551	कोई ज्ञात नहीं

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि- 18.05.2026 शाम 04.00 बजे तक
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय- 15.05.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक,
उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी और आईएफएससी कोड-131834915010026 के माध्यम से जमा किया जाना है (विनियोग खाते के लिए लंबित आरआर रसीद), आईएफएससी- IBKL0001318

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.idbi.bank.in पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें। नीलामी/बोली केवल ई-सेवा प्रदाता, PSB Alliance Pvt Ltd (BAANKNET Platform) की वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से "ऑनलाइन नीलामी मोड" के माध्यम से होगी। हेल्पलाइन डेस्क संपर्क संख्या: सुश्री स्वाती/धर्मेश आशेर/श्री उदय जाधव, संख्या: 9990605075/9892219848/9820878255/8291220220
बिक्री की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक देखें, अर्थात् www.idbibank.com

दिनांक- 02.05.2026 | स्थान- मुरादाबाद | प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! — **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग
प्लाट संख्या-4, द्वारका सेक्टर 10, नई दिल्ली-110075
ई-मेल आईडी :hosd@pnb.bank.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/गुम/चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं और इसके पंजीकृत धारकों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:

क्र सं	शेयरधारकों का नाम	फोलियों संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
1	नागराज दुर्भकोला आर अन्नपूर्णा (संयुक्त धारक-1)	1311339	31809	6740279641-6740279755	115
2	शशिकांत सोनटक्के वी सुजाता शशिकांत सोनटक्के (संयुक्त धारक-1)	1252627	27745	6739773986-6739774100	115

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारकों/दावेदारों के पक्ष में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो शेयर ऊपर बताए गए शेयरधारकों के डीएमएटी खाते में जमा कर दिये जाएंगे। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से सावधान किया जाता है।

दिनांक : 02.05.2026 — कृते पंजाब नैशनल बैंक
स्थान : नई दिल्ली — (बिक्रमजीत सोम) कंपनी सचिव

निविदा सूचना

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 दिल्ली छावनी विद्यालय भवन मरम्मत एवं सफेदी के कार्यों के लिए प्रतिष्ठित / पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद प्रतिस्पर्धा निविदा आमंत्रित करता है। निविदा फार्म विद्यालय के कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक KV No.1Shift 1 VVN Account के पक्ष रूपये 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर देकर प्राप्त किए जा सकते है। सीलबंद निविदाएं इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।

प्राचार्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा – मोहना रोड
यादव डेयरी के पास, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004
ईमेल: exttrd@bankofbaroda.co.in

परिशिष्ट – 13 संक्षिप्त वाहन ई–नीलामी सूचना

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ने पक्षों द्वारा निष्पादित बंधक/ऋण समझौते के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित बंधक मोटर वाहन को पुनः प्राप्त/जब्त कर लिया है और वाहन को "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर नीचे उल्लिखित खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा।
उधारकर्ता/गारंटर/वाहन/कुल देय राशि/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ऋण लेने वाले/वाले का नाम एवं पता गारंटर/गिरवीदार का नाम एवं पता	कुल बकाया	वाहन का निर्माण और मॉडल आरटीओ पंजीकरण संख्या	ई–नीलामी की तिथि/समय ई–नीलामी/बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. बयाना जमा (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि	वाहन/चल संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
1	सोहित सिंह दयालपुर मकान नंबर 1393 बल्लबगढ़ फरीदाबाद–121004	Rs 2,74,501.03+ब्याज +अन्य शुल्क	मॉडल– मारुति सेलेरियो पीएक्सआई ग्रीन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पेट्रोल/सीएनजी आरटीओ पंजीकरण-HR29AS4821	04–06–2026 (अपराह्न 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक) 04–06–2026 सायं 06:00 बजे	1. रू. 1,50,000/- 2. रू. 15,000/- 3. रू. 5,000/-	01–06–2026 से 03–06–2026 तक (सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)

उपरोक्त क्र सं के लिए बैंकनेट प्रॉपर्टी आईडी और नीलामी आईडी इस प्रकार है:

क्र. सं.	बैंकनेट प्रॉपर्टी आईडी
1.	BARB98230600000680

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट https://baanknet.com देखें। इच्छुक बोलीदाता श्री अरूण कुमार से मोबाईल नंबर 7289917839 पर संपर्क कर सकते है।

दिनांक 29.04.2026, स्थान फरीदाबाद | अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, डीबी रोहिणी शाखा
एफ–22, प्लॉट नंबर–35,36, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085
(Email id : dbrohi@bankofbaroda.bank.in)

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट–IV-A [नियम 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों)/प्रतिभूति आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है

क्र. सं.	कर्जदार्स/गारंटर्स/बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई–नीलामी की तिथि /समय	1. आरक्षित मूल्य 2. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3. न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु.	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	**उधारकर्ता – श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा** निवासी: डी–00/609, तीसरी मंजिल, सेक्टर–1, रोहिणी अवंतिका, उत्तर–पश्चिम दिल्ली – 110085 **सह–उधारकर्ता – श्रीमती बिंदु पत्नी श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा** निवासी: डी–00/609, तीसरी मंजिल, सेक्टर–1, रोहिणी अवंतिका, उत्तर–पश्चिम दिल्ली – 110085 **सह–उधारकर्ता – मैसर्स रिया इंजीनियरिंग इसके स्वामी (प्रोपराइटर) श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा के माध्यम से पंजीकृत पता:** प्लॉट संख्या 140–06, खसरा संख्या 155, भूतल, गाँव – पूठ खुर्द, दिल्ली – 110039	फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या 139, ब्लॉक–D, पॉकेट–00, सेक्टर–1, रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित, कुल क्षेत्रफल 31.69 वर्ग मीटर की सम्पूर्ण ग्राउंड फ्लोर (छत अधिकारों के बिना) का साम्यिक बंधक, जो श्रीमती बिंदु, पत्नी श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा की संपत्ति है।	रू.18,09,291.39 (रुपये अठारह लाख नौ हजार दो सौ इक्यानवे और उनतालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.07.2025 तक इसके अतिरिक्त ब्याज लागत, शुल्क और व्यय भी शामिल हैं।	21.05.2026 समय दोपहर 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	आरक्षित मूल्य 26,00,000/- ईएमडी 2,60,000/- बोली वृद्धि राशि 10,000/-	भौतिक	16.05.2026 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** और ऑनलाईन नीलामी पोर्टल **https://baanknet.in** पर दिए गए लिंक को देखें।
इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी मो. **9818046827** से सम्पर्क करे।

दिनांक : 02.05.2026, स्थान : दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र — **क्षेत्रीय कार्यालय : इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32 गुरुग्राम, हरियाणा – 122001**

AX90/Legal/SARFAESI/S-7/2026-27 — दिनांक : 27–04–2026

अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप–धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 05–06–2025 निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारक / गारंटर–

1. ऋणधारक का नाम : मैसर्स मोनू स्टील कंपनी (स्वामी श्री सज्जन पुत्र श्री सत नारायण) पता 1 : हनुमान धाणी, पिपली वाला टैंक के पास, वार्ड नं. 11, भिवानी, हरियाणा 127021
2. गारंटर का नाम : श्रीमती कमलेश पत्नी श्री सत नारायण पता : हनुमान धाणी, पिपली वाला टैंक के पास, वार्ड नं. 11, भिवानी, हरियाणा 127021

को, सूचना में अंकित राशि **रु. 15,19,818.00/– (रुपये पंद्रह लाख उन्नीस हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) प्लस 05–06–2025** से प्रभावी भविष्य के ब्याज, व्यय और अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणधारक निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति/यों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 27 अप्रैल **2026** को साँकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। ऋणधारक को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतयः सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन–देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व तिसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें उपरोक्त अंकित एक राशि हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभाराधीन होगा।
ऋणधारक / गारंटर का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
बैंक के पास बंधककृत तथा बैंक द्वारा अधिग्रहीत की गई संपत्ति के विवरण निम्नानुसार हैं

भूमि के उन सभी भागों एवं अंशों पर साम्यिक बंधक जो (दो मंजिले आवासीय मकान) के रूप में इस प्रकार विद्यमान तथा स्थित हैं :

i) भूमि मापन 0 कनाल 05 1/4 मरला अर्थात् 21/412वां हिस्सा उस भूमि का जिसकी माप 05 कनाल 03 मारला है जो खेवट सं. 346/335 खतौनी सं. 433 खसरा सं. 217//5/1(5–3) में समाविष्ट है।
ii) भूमि मापन 0 कनाल 01 मरला अर्थात् 4211/160776वां हिस्सा उस भूमि का जिसकी माप 02 कनाल 02 मारला है जो खेवट सं. 347/336 खतौनी सं. 434 खसरा सं. 217//6/1(2–2) में समाविष्ट है।
iii) भूमि मापन 0 कनाल 06 मरला अर्थात् 24737/666072वां हिस्सा उस भूमि का जिसकी अधिमाप 08 कनाल 02 मारला है जो खेवट सं. 348/337 खतौनी सं. 435 खसरा सं. 218//10/(8–14) में समाविष्ट है, जो शांति नगर कौंत रोड, भिवानी में ग्राम भिवानी की राजस्व संपदा जोनपाल तहसील एवं जनपद भिवानी में स्थित है।
संपत्ति निम्नानुसार परिसीमित है :–
उत्तर : गली
दक्षिण : सोमबीर की संपत्ति
पूर्व : श्री रोहित की संपत्ति तथा गली
पश्चिम : श्रीमती कमलेश की संपत्ति

दिनांक : 27–04–2026 — कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुरुग्राम क्षेत्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र — **क्षेत्रीय कार्यालय : इरकान इंटरनेशनल टावर, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर-32, गुरूग्राम, हरियाणा - 122001**

AX90/Legal/SARFAESI/S-8/2026–27 — दिनांक: 29.04.2026

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,दिनांक 13.01.2026 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता/गारंटर

1. उधारकर्ता का नामः श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री कृष्ण लाल शर्मा पताः मकान नंबर–574/10, पुराने सदर थाने के पास, गोपाल कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा 124001
2. सह–उधारकर्ता का नामः श्री कपिल देव शर्मा पुत्र कृष्ण लाल शर्मा पताः मकान नंबर–574/10, पुराने सदर थाने के पास, गोपाल कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा 124001
3. सह–उधारकर्ता का नामः श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी कृष्ण लाल शर्मा पताः मकान नंबर–574/10, पुराने सदर थाने के पास, गोपाल कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा 124001

से **रु. 24,99,105.00 (चौबीस लाख निन्यानवे हजार एक सौ पाँच रुपये मात्र)** तथा इस पर दिनांक 13.01.2026 से प्रभावी भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य शुल्क नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकानी है।
उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं,उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 अपैल 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्तों तथा आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति/यों का लेन–देन न करें और संपत्ति/यों के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर उपर्युक्त राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत से उधारकर्ता/गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

बैंक के पास गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण इस तरह हैः

श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री कृष्ण लाल शर्मा, श्री कपिल देव शर्मा पुत्र कृष्ण लाल शर्मा, श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी कृष्ण लाल शर्मा के नाम पर आवासीय प्लॉट आईडी संख्या 12346-99, मकान संख्या 574/10 (पुराना नंबर 181/182),वार्ड संख्या 1, पुराने सदर थाने के पास, गोपाल कॉलोनी रोहतक, क्षेत्रफल 140 वर्ग गज, के सभी टुकड़ों और अंशों का समतुल्य बंधक।
(17.00 लाख रुपये के आवास ऋण के लिए)
पूर्वः कृष्ण का घर
पश्चिमः गोविंद राम और राम नाथ का घर
उत्तरः सीताराम का घर
दक्षिणः सड़क
उपरोक्त संपत्ति पर 10.00 लाख रुपये के टॉप–अप ऋण के लिए अतिरिक्त समतुल्य बंधक के रूप में प्रभार है।

दिनांक : 29.04.2026 — कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुरुग्राम परिक्षेत्र

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई - 600015
शाखा कार्यालय : दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010,, ई-मेलः auction@hindujahousingfinance.com
जेडआरएम - उमेश सिंह चौहान - 9838202386 • आरआरएम - पुष्कर अवस्थी - 9453043399
आरएलएम - ब्रजेश अवस्थी - 9918301885

(परिशिष्ट- IV ए) [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट- IV ए) [नियम 8(6)]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद 'नियम' संदर्भित) के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार), कॉर्पोरेट कार्यालयः 167-169, दूसरी मंज़िल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600 015 और इसका एक शाखा कार्यालय दूसरी मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट नंबर-टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, प्रतिभूत लेनदार के कर्जदारों तथा गारंटरों की ओर बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर **"जैसा है जहाँ है", "जो है यही है"** तथा **"जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर बिक्री की जाएगी। बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **वेबसाइट www.bankeauctions.com तथा auction@hindujahousingfinance.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 16.05.2026 11:00 बजे-14:00 बजे
ईएमडी की अन्तिम तिथि : 19.05.2026 को 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय : 21.05.2026 को 11:00 बजे-13:00 बजे

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम	धारा 13(2) के तहत माँग सूचना तिथि तथा राशि / तिथि तक बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	UP/LKN/LUKN/A000000844 तथा CO/CPC/CPOF/A000000351 1. श्री संजय कुमार द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन दत्त द्विवेदी, 2. श्रीमती गीतिका द्विवेदी पत्नी संजय कुमार द्विवेदी, दोनों, निवासी: मडियांव खदरी बलाल बाजार भिटौली खुर्द जिला लखनऊ।	08/09/2023 तथा रु. 47,59,330/- / रु. 47,59,330/- तिथि 26/08/2023	22-03-2024 सांकेतिक कब्जा	रु. 58,42,000/- / रु. 5,84,200/- / रु. 10,000/-

अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट संख्या-21अ पर निर्मित मकान, जो खसरा संख्या 45 का एक हिस्सा है; ग्राम भिटौली खुर्द, तहसील इडळ, परगना एवं जिला-लखनऊ, उप-पंजीयक बीकेटी, जिला लखनऊ। क्षेत्रफलः 195.167 वर्ग मीटर। दिशा एवं सीमाएँः उत्तर- 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- किसी अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पूर्व- पन्नालाल वर्मा का मकान, पश्चिम- देवानंद का मकान।

भुगतान का तरीकाः भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में किया जाएगा, जो लखनऊ में देय होगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी की नियम एवं शर्तेः - 1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विकसों और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नी